POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 20.03.2023

1. थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस द्वारा वांछित लुटेरा अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर व 03 जिंदा कारतूस बरामद।

घटनाक्रम का विवरण -- दिनांक 20.03.2023 को थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 870/2017 धारा 392 भा0दं0वि0 के अंतर्गत वांछित लुटेरे अभियुक्त आकाश उर्फ गुल्लू पुत्र रविन्द्र उर्फ रम्बल निवासी सपनावत थाना कपूरपुर जिला हापुड़ को मोरना बस स्टैण्ड सेक्टर 35 नोएडा के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक तंमचा 315 बोर व तीन जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

अभियुक्त का विवरण--

आकाश उर्फ गुल्लू पुत्र रविन्द्र उर्फ रम्बल निवासी सपनावत थाना कपूरपुर जिला हापुड़ को मोरना बस स्टैण्ड सेक्टर 35 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 0870/2017 धारा 392 भा0दं0वि0 थाना सेक्टर 24 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 0019/2018 धारा 147/148/149/307 भा0दं0वि0 थाना खानपुर जिला बुलन्दशहर।
3. मु0अ0सं0 0013/2018 धारा 457/380 भा0दं0वि0 थाना ब्रहम्मपुरी क्षेत्र जिला खानपुर जिला बुलन्दशहर।
4. मु0अ0सं0 0131/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर 24 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर, 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

2.थाना फेस-2 नोएडा पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग में 2018 से वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

घटनाक्रम का विवऱण -- दिनांक 20.03.2023 को थाना फेस-2 पुलिस द्वारा मु0अ0स0 485/18 धारा 379 भादवि के अंतर्गत वांछित अभियुक्त शंकर सिंह पुत्र दलेल सिंह निवासी ग्राम नरदोली थाना सिकन्दरपुर वैश्य जिला कासगंज को सैमसंग कम्पनी सेक्टर 80 सैमसंग चौराहा से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरण--
शंकर सिंह पुत्र दलेल सिंह निवासी ग्राम नरदोली थाना सिकन्दरपुर वैश्य जिला कासगंज

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0स0 485/18 धारा 379 भादवि थाना फेस-2 गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0स0 262/18 धारा 307/411 भादवि व 41/102 सीआरपीसी थाना कला जिला शाहजहांपुर।
3. मु0अ0स0 26/22 धारा 20बी2(सी) एनडीपीएस एक्ट व धारा 120 भादवि थाना चन्दवा जिला लातिहार झारखंड।

3. थाना सेक्टर-58 द्वारा मोबाइल फोन लूटने वाले 03 लुटेरे अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूट/चोरी के 11 मोबाइल फोन भिन्न-भिन्न कम्पनियों के व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस व 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 20.03.2023 को थाना सेक्टर-58 द्वारा मोबाइल फोन लुटने वाले 03 लुटेरे अभियुक्त 1.राहुल पुत्र श्यामवीर निवासी-ग्राम टिकाई पुख्ता, थाना उसैत, जिला बदायूँ वर्तमान पता शिवम अस्पताल वाली गली, खोडा कॉलोनी, थाना खोडा, जिला गाजियाबाद 2.श्रवण पुत्र रामदास निवासी-ग्राम चन्दौस, थाना कोतवाली, जिला कासगंज वर्तमान पता ट्रांसफार्मर वाली गली, थापर गेट, खोडा कॉलोनी जिला गाजियाबाद 3.संदीप पुत्र राजपाल निवासी-वार्ड नं0-1, नगर पंचायत शकानू, थाना अलाहपुर, जिला बदायूँ वर्तमान पता ग्राम कनावनी, थाना इन्द्रापुरम, जिला गाजियाबाद को लेवर चौक के पास सेक्टर-57, नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से लूट/चोरी के 11 मोबाइल फोन भिन्न-भिन्न कम्पनियों के व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस रजि0 नम्बर यूपी16डीसी-4490 व 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुये है अभियुक्त 1.राहुल 2.श्रवण व 3.संदीप शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके द्वारा मोटरसाइकिल पर सवार होकर मौका पाकर सुनसान स्थानों पर राह चलते व्यक्तियों से उनका मोबाइल फोन छीन लेते है तथा छीने हुये मोबाइल फोन को अपने साथी संदीप को बेचने के लिये देते है। पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि इनसे बरामद मोबाइल फोन में से एक फोन दिनांक 19.3.2023 को शाम के लगभग 19.30 बजे विशनपुरा टी प्वाईंट से एक व्यक्ति से छीना गया था, उक्त घटना के सम्बन्ध मे थाना सेक्टर-58 पर मु0अ0सं0-125/2023 धारा 392 भादवि पंजीकृत है तथा सी-29 सेक्टर-58 से एक व्यक्ति से उसका वीवो का मोबाइल फोन छीना गया था जिसको इन्होने राह चलते हुए व्यक्ति को मजबूरी बताकर 3,000 रूपये मे बेच दिया था जो पैसे खर्च हो गये। उक्त घटना के सम्बन्ध मे थाना सेक्टर-58 पर मु0अ0सं0-0043/2023 धारा 392 भादवि पंजीकृत है। इनके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति से सेक्टर-62 नोएडा से एक मोबाइल फोन वन प्लस छीना गया था, जिसे राह चलते हुए व्यक्ति को बेच दिया था जिसके पैसे खर्च हो गये। उक्त घटना के सम्बन्ध मे थाना सेक्टर-58 पर मु0अ0सं0-574/22 धारा 392 भादवि पंजीकृत है तथा इसी मोटरसाइकिल पर सवार होकर सेक्टर-59, मेट्रो स्टेशन के पास नोएडा से एक सैमसंग एफ-13 मोबाइल फोन छीना था, जिसे राह चलते हुए व्यक्ति को 3,000 रूपये मे बेच दिया था। उक्त घटना के सम्बन्ध मे थाना सेक्टर-58 पर मु0अ0सं0-116/23 धारा 392 भादवि पंजीकृत है तथा सेक्टर-63 मे दिसम्बर माह में व उसके अलावा भी इन्होने मोबाइल छीने है। इनके द्वारा राह चलते हुए व्यक्ति को बेच दिया गया तथा पैसे खर्च हो गये। थाना सेक्टर-63 पर माह दिसम्बर 2022 की घटना के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0-570/22 धारा 392 भादवि पंजीकृत है। पूछने पर इनके द्वारा बताया गया कि पर्थला रोड से भी एक महिला से सैमसंग नोट मोबाइल फोन छीना था, जिसे मजबूरी बताकर राह चलते हुए व्यक्ति को 3,000 रूपये मे बेच दिया था। उक्त घटना के सम्बन्ध मे थाना सेक्टर-113 नोएडा पर मु0अ0सं0-89/2023 धारा 392 भादवि पंजीकृत है। इनसे बरामद अन्य मोबाइल फोनों के बारे में जानकारी की जा रही है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. राहुल पुत्र श्यामवीर निवासीग्राम टिकाई पुख्ता, थाना उसैत, जिला बदायूँ वर्तमान पता शिवम अस्पताल वाली गली, खोडा कॉलोनी, थाना खोडा, जिला गाजियाबाद।
2. श्रवण पुत्र रामदास निवासी-ग्राम चन्दौस, थाना कोतवाली, जिला कासगंज वर्तमान पता ट्रांसफार्मर वाली गली, थापर गेट, खोडा कॉलोनी जिला गाजियाबाद।
3. संदीप पुत्र राजपाल निवासी-वार्ड नं0-1, नगर पंचायत शकानू, थाना अलाहपुर, जिला बदायूँ वर्तमान पता ग्राम कनावनी, थाना इन्द्रापुरम, जिला गाजियाबाद।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0-126/23 धारा 414 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-58, नोएडा।
2. मु0अ0सं0-125/2023 धारा 392, 411 भादवि थाना सेक्टर-58, नोएडा।
3. मु0अ0सं0-0043/2023 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर-58, नोएडा।
4. मु0अ0सं0-574/22 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर-58, नोएडा।
5. मु0अ0सं0-116/23 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर-58, नोएडा।
6. मु0अ0सं0-570/22 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर-63 नोएडा।
7. मु0अ0सं0-89/2023 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर-113 नोएडा।

बरामदगी का विवरण--

1. लूट/चोरी के 11 भिन्न-भिन्न कम्पनी के मोबाइल फोन ।
2. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस रजि0 नम्बर यूपी16डीसी-4490
3. अभियुक्त राहुल के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस।